कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, दिघवारा(सारण)
जिला– सारण

महाशय,

नगर पंचायत, दिघवारा के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 653 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14687/210 दिनांक– 19.09.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सारण

19/09/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 653/17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, दिघवारा (सारण)	
2	लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17	
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	तेरहवां/चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुद्रांक शुल्क मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, अग्रिम पंजी एवं भुगतान अभिश्रव।	
4	लेखापरीक्षा की अवधि	19.07.2017 से 25.07.2017 तक	
5	**प्रशासन**	**नाम**	**अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमति दुलारी देवी	01.04.2014 से 31.03.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्रीमति मनोरमा देवी	01.04.2014 से 31.03.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री चंद्रशेखर कुमार सिंह	01.04.2014 से 25.09.2014
		2. श्री प्रकाश वर्मा	21.10.2014 से 29.11.2014
		3. श्री रवि कुमार	08.01.2015 से 23.02.2015
		4. श्री अरूण कुमार सिन्हा	23.02.2015 से 10.03.2015
		5. श्री रवि कुमार	10.03.2015 से 20.05.2015
		6. श्री अजय शंकर	20.05.2015 से 07.09.2015
		7. श्री शंकर प्रसाद	07.09.2015 से 31.03.2017
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3. श्री नीरज कुमार–IV, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी	
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।	

9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक– 25.07.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर पंचायत– दिघवारा (सारण)** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भाग–II (क)

कंडिका– (1): गृहकर रसीदों द्वारा संग्रहित राशि का नहीं/कम जमा– रू0 12.02 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–22(1) के अनुसार, प्राप्त अधिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–27 में प्रावधान है कि प्रत्येक कर संग्राहक बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–17 में एक संग्रहण बही का संधारण करेंगें जिसमें राशि संग्रहण के बाद निर्गत की गयी मूल रसीद की सारी प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा कर संग्राहक अपने सारे संग्रहण राशि को दैनिक रूप से कैशियर के पास जमा करेंगें जो संग्रहित राशि को अधिकृत बैंकों में जमा कर देंगें।

नगर पंचायत– दिघवारा (सारण) के संपत्ति कर की वसूली से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कर संग्रहण में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। कर संग्राहकों द्वारा कोई संग्रहण बही या दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए गए एच–रसीदों के अनुसार, वर्ष 2014–15 से लेखापरीक्षा की तिथि (19.07.2017) तक विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा संपत्ति कर के मद में कुल रू0 19,04,095.00 राशि का संग्रहण किया गया था परंतु उनके द्वारा केवल रू0 7,01,852.00 राशि ही बैंक में जमा किया गया था तथा शेष रू0 12,02,243.00 राशि संबंधित कर संग्राहकों के पास ही पड़ी थी। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	रसीद संख्या	संग्रह की तिथि	संग्रह की कुल राशि (रू0)	जमा की गई राशि (रू0)	कम/ नहीं जमा राशि (रू0)	कर संग्राहक का नाम
1	2	3	4	5	6 (4–5)	7
1.	1353–1355	12.05.2014–13.06.2014	12,915	33,000	68,591	श्री शिलानाथ सिंह
2.	1667–1669	01.10.2014–15.11.2014	88,676			
3.	2801–2876	30.04.2014–05.05.2014	**1,19,616**	**33,000**	**86,616**	श्री चन्द्रमा राय
4.	1772–1776	01.09.2014–11.10.2014	43,920	3,35,582	6,68,659	श्री राकेश कुमार
5.	3401–3500	06.05.2015–20.01.2016	1,62,276			
6.	3501–3600	18.12.2016–21.12.2016	2,30,380			
7.	3701–3800	12.03.2016–28.03.2016	2,83,365			
8.	3901–3903	25.12.2016–03.02.2017	20,917			
9.	4001–4100	28.03.2017–08.06.2017	1,59,525			
10.	4501–4555	08.06.2017–19.07.2017	1,03,858			
11.	3601–3700	08.03.2016–03.03.2017	2,73,262	**3,00,270**	3,76,074	श्री तारकेश्वर प्रसाद
12.	4201–4300	29.03.2017–30.03.2017	1,42,613			
13.	4301–4400	31.03.2017–29.04.2017	1,95,539			

14.	4401–4555	08.06.2017–19.07.2017	64,930			
15.	3201–3203	27.01.2015–22.04.2015	**2,303**	**0**	**2,303**	श्री मिथिलेश कुमार सिंह
कुल योग			**19,04,095**	**7,01,852**	**12,02,243**	

आगे, यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न कर संग्राहकों को निर्गत किए गए रसीद पुस्तिकाओं के लिए भंडार पंजी का संधारण नहीं किया था जिससे यह पता नहीं चल सका कि किन–किन कर संग्राहकों को किस संख्या एवं मात्रा में रसीदों को निर्गत किया गया था तथा उन रसीदों के द्वारा कितनी कर राशि का संग्रह किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए गए रसीद पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि रसीद संख्या– 1501 से 1600, 1801 से 2800, 2901 से 3200, 3801 से 3900 तथा 4101 से 4200 यानी कुल 16 रसीद पुस्तिकाएं लेखापरीक्षा जाँच हेंतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कर्मियों को संग्रहीत राशि यथाशीघ्र बैंक में जमा कराने हेतु पत्र निर्गत किया जाएगा। जवाब के आलोक में कर संग्रह की नहीं जमा राशि कुल रू0 12,02,243.00 को नगर पंचायत कोष में जमा कराने हेतु की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए तथा अप्रस्तुत 16 रसीद पुस्तिकाओं को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

भाग– II (ख)

कंडिका– (2): मोबाईल टावरों का बिना अनुमति अधिष्ठापन एवं टावर कर की बकाया राशि– रू0 5.52 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाईल टावरों से रु0 30,000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष की दर से पंजीकरण शुल्क एवं रु0 8,000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष की दर से नवीकरण शुल्क वसूल किए जाने का प्रावधान है। उक्त नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार बिना पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान किए तथा नगरपालिका की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिष्ठापित किए गए सभी मोबाईल टावर अवैध माने जाएंगे।

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल टावरों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित मोबाईल ट वरों की संख्या तथा इस मद में पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि से संबंधित कोई विवरण/प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, सारण द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टावरों के पंजीयन शुल्क एवं

नवीकरण शुल्क की गणना विवरणी अविलंब समर्पित किए जाने का निर्देश (पत्रांक–757; दिनांक–17.11.2014) दिया गया था परंतु, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इससे संबंधित कोई प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया था। दिनांक–02.04.2014 की तिथि में कुछ व्यक्तियों को अपने निजी जमीन में नगर पंचायत की अनुमति लिए बिना मोबाईल टावर अधिष्ठापित कराने एवं निजी जमीन के व्यावसायिक उपयोग हेतु कर जमा किए जाने के लिए नोटिस निर्गत किया गया था। इस तिथि के बाद इस संबंध में कोई अग्रेतर कार्रवाई संचिका में नहीं पायी गयी।

आगे, वित्तीय वर्ष 2015–16 के चार्टर्ड एकाउंटेंट के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 8 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे जिनमें से केवल दो मोबाईल टावरों के पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान किया था तथा शेष 6 मोबाईल टावरों द्वारा कोई पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में मोबाईल टावरों से कुल रू0 5,52,000.00 राशि की वसूली की अनुशंसा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 का आंतरिक लेखापरीक्षा संपन्न नहीं हुआ था।

जवाब में बताया गया कि डिमांड यथाशीघ्र तैयार कर लिया जाएगा। जवाब के आलोक में टावर कर की अद्यतन डिमांड तैयार कर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

कंडिका– (3): <u>निधि का अवरोधन– रू0 2.71 लाख</u>

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–343 के अनुसार, प्राप्त अनुदानों का उपयोग एक निश्चित समय–सीमा में किया जाना चाहिए तथा यदि संस्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई हो तो अनुदान राशि का व्यय तार्किक समय के अंदर किया जाना चाहिए एवं अनुदान की अव्ययित राशि सरकार को प्रत्यर्पित कर दी जानी चाहिए। नगर पंचायत– दिघवारा (सारण) द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़बही एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि गंदी बस्ती विकास योजना से संबंधित बैंक खाते में दिनांक–31.03.2017 तक कुल रू0 2,71,244.00 राशि अनुपयोगित पड़ी हुई थी। इस योजना में विगत कई वर्षों से कोई व्यय नहीं किया गया था और न ही अनुपयोगित निधि को अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को वापस किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है–

योजना का नाम	31.03.2017 को बैंक खाता में अवशेष राशि (रू0)	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	अभियुक्ति
गंदी बस्ती विकास योजना	2,71,244.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिघवारा–2067137955	जनवरी 2011 से कोई व्यय नहीं। रोकड़बही दिनांक– 26.09.2014 तक ही लिखा गया था।
कुल	**2,71,244.00**		

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त राशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा कर दिया जाएगा। जवाब के आलोक में अनुपयोगित राशि रू0 2,71,244.00 को कोषागार में जमा कर संबंधित अभिलेख अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका– (4): <u>विलंब अधिभार भुगतान एवं बकाया विद्युत विपत्र– रू0 16.17 लाख</u>

बिहार सरकार के पत्रांक–418/2011/6594/वि0; दिनांक–26.06.2013 जिसकी प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित (पत्रांक–1731; दिनांक–18.07.2013) की गई थी, के अनुसार सरकारी कार्यालयों द्वारा मासिक विद्युत विपत्र प्राप्त होते ही निर्धारित तिथि (डयू डेट) के पूर्व ही उसका भुगतान किया जाना था ताकि विलंबित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) के भुगतान से बचा जाए।

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) द्वारा उपलब्ध कराए गए विद्युत विपत्रों की रोकड़बही एवं संचिका में संलग्न विद्युत विपत्रों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि निम्नांकित विद्युत विपत्रों में विद्युत कंपनी (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) को कुल रू0 59,688.98 राशि का डी. पी.एस. भुगतान किया गया था एवं विद्युत विपत्रों का भुगतान देय तिथि के 11 दिन से 5 माह के विलंब से किया गया जबकि नगर पंचायत को विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अंतर्गत समय–समय पर राशि उपलब्ध कराई गई थी–

क. सं.	कंज्यूमर आई.डी.	विपत्र माह	विपत्र की राशि (रू0)	डी.पी.एस. की राशि (रू0)	विपत्र भुगतान की देय तिथि	विपत्र भुगतान की तिथि	भुगतान में विलंब
1.	CE 65311	फरवरी 2015	3,84,392.00	2967.00	28.03.2015	21.08.2015	5 माह
2.	CE 63306	फरवरी 2015	30,658.00	3032.75	28.03.2015	21.08.2015	5 माह
3.	CE 65311	दिसंबर 2014	9,74,443.00	26,149.23	30.01.2015	11.02.2015	11 दिन
4.	CE 65311	जुलाई 2014	9,45,540.00	27,540.00	30.08.2014	20.10.2014	1 माह 20 दिन
कुल				**59,688.98**			

आगे, नगर विकास एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक–2ब0/बजट–14–16/2014/2091; दिनांक–20.03.2017 द्वारा सभी नगर निकायों को बकाये विद्युत विपत्र का भुगतान पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14वाँ वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त अपने आंतरिक संसाधन से दिनांक–22.03.2017 तक किए जाने का निर्देश दिया था। परंतु, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग मद में आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद कंजयूमर आई.डी. 12520068813 के फरवरी 2017 माह तक कुल रू0 31,17,389.00 राशि का विद्युत विपत्र लेखापरीक्षा की तिथि तक भुगतान हेतु बकाया थी जबकि उक्त विपत्र भुगतान की देय तिथि 26.03.2017 थी। इस विपत्र में डी.पी.एस. की रू0 2,47,568.00 राशि भी शामिल थी।

स्पष्टतः विद्युत विपत्रों के ससमय भुगतान के सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा विपत्रों का भुगतान विलंब से किया गया जिससे डी.पी.एस. का सृजन हुआ।

जवाब में बताया गया कि विद्युत विभाग द्वारा विलंब से विद्युत विपत्र प्राप्त होने के कारण डी. पी.एस. का भुगतान किया गया तथा फरवरी 2017 तक के कुल विपत्र राशि ₹31,17,389.00 में से रू0 15,00,000.00 जमा करा दी गई है एवं शेष राशि यथाशीघ्र जमा करा दी जाएगी।

विद्युत विपत्र की शेष लंबित राशि रू0 16,17,389.00 को यथाशीघ्र जमा कर संबंधित अभिलेख अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका– (5): <u>आपूर्तिकर्ता को अग्रिम का अनियमित भुगतान– रू0 0.20 लाख</u>

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) के अभिलेखों की जाँच में यह ज्ञात हुआ कि आंतरिक संसाधन कोष से कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर (आलमीरा, पर्दा, टेबल क्लॉथ आदि) के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता श्री मो0 मुबारक हुसैन द्वारा कुल रू0 39,400.00 राशि का विपत्र समर्पित किया गया था जिसके विरूद्ध दिनांक–12.05.2016 को चेक संख्या–032074 के माध्यम से रू0 20,000.00 का अग्रिम भुगतान किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त सामानों की आपूर्ति की जा रही थी। नगर पंचायत द्वारा भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया था इससे यह पता नहीं चल सका कि उक्त सभी सामानों की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया था अथवा नहीं। संचिका में आपूर्तिकर्ता को शेष राशि के भुगतान/अग्रिम के समायोजन के संबंध में कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं पायी गयी। कार्यालय द्वारा अग्रिम पंजी का भी संधारण नहीं किया गया था।

आगे, यह पाया गया कि संचिका के नोटशीट एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा समर्पित किए गए विपत्र में 1 पीस पंखा जिसकी कीमत रू0 2,500.00 दर्शायी गयी थी को काट दिया गया था परंतु विपत्र के कुल मूल्य में इसकी कीमत को घटाया नहीं गया था। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0 2,500.00 का अधिक विपत्र समर्पित किया गया था। कैश मेमो (बिहार फर्निचर, दिघवारा) में क्रय की तिथि अंकित नहीं थी।

जवाब में बताया गया कि अंतिम विपत्र प्राप्त होते ही अग्रिम का समायोजन कर लिया जाएगा। अग्रिम का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए तथा क्रय की गई सामग्रियों की भंडार पंजी में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

कंडिका– (6): <u>वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि–रू0 1.01 लाख</u>

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम (बि.न.अ.), 2011 की धारा–127(13)(i) प्रावधान करता है कि नगरपालिका प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा बि.न.अ. (संशोधित), 2013 की धारा–127(7)(iii) के अनुसार संपूर्ण निर्मित क्षेत्र

का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए प्रति वर्ग फुट किराया प्रति पाँच वर्ष में न्यूनतम 15 प्रतिशत से बढ़ायी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने भी अपने पत्रांक –SPUR-PMU/157/COMM-MF/261; दिनांक–20.07.2015 द्वारा सभी नगर निकायों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों को यथाशीघ्र अनुपालन किए जाने का निर्देश दिया था।

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) के होल्डिंग कर से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत होल्डिंगों के वार्षिक किराया मूल्य का प्रत्येक पाँच वर्ष पर पुनरीक्षण नहीं किया गया था। नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत होल्डिंगों का अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 2005–06 में ही किया गया था एवं संपत्ति कर पुराने दर से वसूल किया जा रहा था, जबकि प्रथम पुनरीक्षण वर्ष 2010–11 में एवं द्वितीय पुनरीक्षण वर्ष 2015–16 में किया जाना था। पुरानी दर पर संपत्ति कर की वसूली किए जाने के कारण नगर पंचायत को वर्ष 2011–12 से 2016–17 के दौरान न्यूनत्तम रू0 89,713.00 लाख राशि के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि रू0 में)

क्र. सं.	वार्ड संख्या	कुल वार्षिक किराया मूल्य (2005–06)	2010–11 में वार्षिक किराया मूल्य (15% वृद्धि)	2015–16 में वार्षिक किराया मूल्य (15% वृद्धि)	2011–12 से 2015–16 तक राजस्व हानि {(4–3) x9% x 5}	वर्ष 2016–17 में राजस्व हानि {(5–3) x 9%}	कुल राजस्व हानि
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)
1.	1	62,906	72,342	83,193	4,246	1825.83	6071.83
2.	2	1,19,570	1,37,506	1,58,132	8,071	3470.58	11541.58
3.	3	1,00,128	1,15,147	1,32,419	6,759	2906.19	9665.19
4.	4	41,966	48,261	55,500	2,833	1218.06	4051.06
5.	7	3,50,796	4,03,415	4,63,927	23,679	10181.79	33860.79
6.	8	1,49,978	1,72,475	1,98,346	10,124	1353.12	14477.12
7.	10	1,68,569	1,93,854	2,22,932	11,378	4892.07	16270.67
8.	14	86,639	99,635	1,14,580	5,848	2514.69	8362.69
कुल					72,938	28362.33	101300.33

शेष वार्डों के कुल किराया मूल्य से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उन वार्डों में राजस्व क्षति की गणना नहीं की जा सकी।

आगे, बैठक पंजी के अवलोकन में यह पाया गया कि दिनांक–03.09.2015 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नये सिरे से भवनों का मूल्यांकन कराने हेतु अभिरूचि का आमंत्रण प्रणाली से एजेन्सी के चयन का निर्णय लिया गया था परंतु, इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई से संबंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जी.आई.एस. आधारित मैपिंग किया गया है जिसके आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण किया जाना है।

कंडिका– (7): <u>संदिग्ध अभिश्रवों पर अनियमित भुगतान– रू0 0.28 लाख</u>

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) के वर्ष 2014–17 से संबंधित भुगतान अभिश्रवों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नांकित विपत्रों/कैश मेमो पर दुकानदार/आपूर्तिकर्ता/मजदूरों का हस्ताक्षर नहीं था फिर भी इन विपत्रों/कैश मेमो को पारित कर कुल रू0 28,228.00 राशि का भुगतान किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	विपत्र/ कैशमेमो संख्या/ दिनांक	अभिश्रव की राशि (रू0)	चेक संख्या/ दिनांक	अभियुक्ति
1	मस्टर रॉल संख्या– 4466, 4467	7,280.00	000021/ 29.11.2014	मस्टर रॉल पर कार्य की तिथि एवं मजदूरों का हस्ताक्षर नहीं था।
2	अंकित नहीं (जय माता दी पंडाल डेकोरेटर्स एवं कुक सेंटर)	4,800.00	034345/ 05.08.2016	विपत्र पर क्रम संख्या, तिथि एवं दुकानदार का हस्ताक्षर नहीं था।
3	अंकित नहीं (अजय हार्डवेयर, हाजीपुर)	15,350.00	500682 & 500683/ 29.11.2014	विपत्र पर क्रम संख्या, तिथि एवं दुकानदार का हस्ताक्षर नहीं था।
4	––/22.11.2016 माँ वैष्णो स्वीटस एवं चाट हाउस	798.00	023921/ 22.12.2016	विपत्र पर क्रम संख्या एवं दुकानदार का हस्ताक्षर नहीं था।
	कुल	**28,228.00**		

बिना दुकानदार एवं मजदूरों के हस्ताक्षर के उपरोक्त मस्टर रॉल एवं कैश मेमो संदिग्ध थे जिनपर भुगतान नहीं किया जाना था। अतः नगर पंचायत द्वारा इन विपत्रों पर किया गया रू0 28,228.00 राशि का भुगतान अनियमित था।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में वित्तीय नियमों के अनुसार विपत्र पारित किया जाएगा। जवाब अमान्य था क्योंकि उपरोक्त विपत्रों में भुगतान पानेवाले का हस्ताक्षर नहीं था। अतः किया गया भुगतान संदिग्ध था। अतः इस संबंध में सम्यक जॉच प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका– (8): <u>डोर–टु–डोर कूड़ा संग्रहण हेतु की गयी निविदा प्रकिया में अनियमितता– रू0 11.71 लाख</u>

नगर पंचायत, दिघवारा क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में साफ–सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं डोर–टु–डोर कूड़ा संग्रहण करने हेतु दिनांक–25.08.2016 को हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर समाचार–पत्रों में इच्छुक निबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी/संस्थान/एन.जी.ओ. से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया गया था। निविदा निष्पादनोपरान्त सेवा फाउन्डेशन, नत्थुपुर, पटना को तकनीकि बिड एवं वित्तीय बिड में सफल घोषित किया गया था। उसके पश्चात् दिनांक–28.12.2016 को सभी 18

वार्डों में साफ–सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण करने हेतु दिनांक–01.01.2017 से कार्य प्रारंभ करने हेतु सेवा फाउन्डेशन नत्थुपुर, पटना से एकरारनामा किया गया था। सेवा फाउन्डेशन को उक्त कार्य हेतु तीन माह तक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क.सं.	माह	चेक संख्या	दिनांक	राशि (रू0)
1	जनवरी, 2017	726512	21.02.2017	3,91,504.00
2	फरवरी, 2017	–	06.06.2017	3,90,065.00
3	मार्च, 2017	–	06.06.2017	3,89,263.00
कुल				**11,70,832.00**

लेखापरीक्षा आपत्तिः–

(i) संचिका में तकनीकि बिड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया।

(ii) सेवा फाउन्डेशन, नत्थुपुर के वित्तीय बिड में दिनांक अंकित नहीं था।

(iii) निविदा प्रकिया में भाग लेनेवाली संस्थाओं के तुलनात्मक विवरणी में कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।

(iv) एकरारनामा में दोनों पक्षों का हस्ताक्षर नहीं था। प्रारूप एकरारनामा की शर्तों के अनुसार चयनित एजेंसी को डोर–टु–डोर कचड़ा संग्रहण हेतु प्रत्येक घर से USER CHARGES की वसूली विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाना था परंतु, संचिका में एजेंसी द्वारा USER CHARGES की वसूली राशि से संबंधित अभिलेख नहीं पाया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के बावजूद सेवा फाउन्डेशन, नत्थुपुर, पटना को निविदा में सफल घोषित किया गया एवं बिना एकरारनामा के उक्त संस्थान को तीन माह तक कुल रू0 11,70,832.00 राशि का भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी बिड से संबंधित दस्तावेज के आधार पर सेवा फाउंडेशन क वित्तीय बिड खोला गया है, तकनीकी बिड से संबंधित दस्तावेज महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। जवाब के आलोक में संबंधित अभिलेख महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

कंडिका– (9): <u>विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं किया जाना– रू0 0.47 लाख</u>

योजना सं0/वर्ष एवं मद का नाम	11/2013–14; पंचम राज्य वित आयोग
योजना का नाम	वार्ड सं0 12 में भोला मियां के घर से लेकर सागर राम के घर होते हुए शत्रुघ्न राम के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू 4,69,200.00
एकारारनामा राशि	रू 4,49,871.00
एकारारनामा संख्या	11/F_2/2014–15;
संवेदक का नाम	श्री मनोज कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	11.07.2014
कार्य समाप्ति की अवधि	2 माह
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	03.03.2016

<u>लेखापरीक्षा आपत्तिः</u>

(i) एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause-2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि संवेदक द्वारा भुगतान किया जाना है। योजना संचिका के अवलोकन में पाया गया कि संवेदक द्वारा 18 माह के विलंब से कार्य पूर्ण किया गया था परन्तु, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार, विलम्ब शुल्क के रूप में रू0 46,920.00 की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(ii) निविदा सूचना के शर्तानुसार, संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह की होगी, तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर उनकी जमानत राशि विमुक्त की जाएगा। संचिका के अनुसार, कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 03.03.2016 थी। नियमानुसार, 36 माह अर्थात दिनांक–02.03.2019 के बाद कार्य संतोषप्रद होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती थी। परंतु, 36 की बजाए केवल 15 माह बाद ही रू0 22,496.00 की जमानत राशि में से राशि ₹ 18496 लौटाकर (चेक सं.–726543; दिनांक–13.06.2017) संवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं ₹ 4000 का भुगतान पूर्व में ही लिपिकिय भूलवश कर दिया गया था।

(iii) बिहार लोक निर्माण संहिता के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के भुगतान के पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा एवं उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका के जॉच क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा गुणवता जॉच संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही संवेदक को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

(iv) संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों से भुगतान के समय बिक्री कर, रॉयल्टी, श्रम सेस एवं आयकर के मद में कुल रू0 40,259.00 (22,496 + 8,765 + 4,499 + 4,499) की कटौती की गयी थी परंतु, उक्त राशि के संबंधित विभागों में जमा किए जाने का साक्ष्य नहीं पाया गया।

(v) निविदा प्रकिया, मानक निविदा आमंत्रण सूचना के निर्धारित शर्तो के अनुरूप नहीं किया गया था। निविदा प्रकिया में तकनीकि निविदा में सफल होने वाले निविदाकार की वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जाना था। संचिका में तकनीकि निविदा से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं था। तकनीकि निविदा से संबंधित दस्तावेज नहीं रहने के बावजूद श्री मनोज कुमार सिंह को उक्त कार्य का आवंटन किया गया था।

जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में उपरोक्त त्रुटियाँ हुई जिन्हें भविष्य में सुधार कर लिया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका– (10): <u>लैपटॉप, टैबलेट एवं वाहन के कय में अनियमितता– रू0 12.14 लाख</u>

नगर पंचायत कार्यालय, दिघवारा में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान लैपटॉप, टैबलेट एवं वाहन (टाटा सुमो गोल्ड) के लिए Accessories कय करने हेतु श्री राकेश कुमार, लिपिक को कुल रू0 4,15,000.00 का अग्रिम दिया गया था। साथ ही, एक वाहन (टाटा सुमो गोल्ड) का भी कय किया गया था जिसके लिए रू0 8,14,890.00 की निकासी myself द्वारा चेक संख्या–024477 दिनांक–04.09.2015 को किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है:–

क.सं.	कय की गयी सामग्री	मात्रा	दर	भुगतान की राशि (रू0)
1	लैपटॉप	9	28,190	2,53,710
2	टैबलेट	3	38,000	1,20,000
3	वाहन (टाटा सुमो गोल्ड)	1	8,14,890	8,14,890
	वाहन (टाटा सुमो गोल्ड) के लिए Accessories			25,000
कुल				**1213600**

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–131(थ)(1) के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री आपूर्ति किए जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए था परंतु, इस नियम के विपरीत उक्त सामग्रियों के कय हेतु श्री राकेश कुमार, लिपिक को अग्रिम के रूप में रू0 4,15,000.00 का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, वाहन (टाटा सुमो गोल्ड) के कय के लिए भी अग्रिम के रूप में रू0 8,14,890.00 की निकासी की गयी थी। उक्त राशियों के सामंजस्य से संबंधित साक्ष्य/अभिश्रव संचिका में नहीं पाया गया। लैपटॉप हेतु प्राप्त राशि ₹ 270000 में से मात्र ₹ 253710 का ही भुगतान किया गया था अर्थात ₹16290 का प्राप्ति के बावजूद कम भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि अभिश्रव प्राप्त कर अग्रिमों का समायोजन कर लिया जाएगा। अग्रिमों का समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए तथा ₹ 16290 के वर्तमान स्थिति से कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका– (11): <u>अनियमित निकासी– रू0 0.60 लाख</u>

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) के 13वीं वित्त आयोग मद से संबंधित बैंक विवरणी, बैंक पासबुक एवं चेक पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक–10.10.2014 को चेक संख्या– 431996 के माध्यम से Self द्वारा कुल रू0 60,000.00 की निकासी की गयी थी। परन्तु, संबंधित रोकड़बही में चेक संख्या–431996 की प्रविष्टि नहीं पायी गयी। इससे यह पता नहीं चल सका कि उपरोक्त राशि की निकासी किस उद्देश्य से की गयी थी।

जवाब में बताया गया कि तत्कालीन लेखापाल से इस संबंध में कारण पृच्छा की जाएगी। स्पष्टीकरण प्राप्त कर की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

<u>नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी (TAN)</u>

टिप्पणी (1): <u>सामान्य रोकड़बही को अद्यतन नहीं किया जाना</u>

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार, रोकड़बही का संधारण प्रतिदिन किया जाना चाहिए। परंतु, नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के सामान्य रोकड़बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामान्य रोकड़बही दिनांक–01.12.2015 तक ही संधारित किया गया था तथा रोकड़बही में दिनांक–07.09.2015 तक ही कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर था।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कर्मचारियों से रोकड़बही के अद्यतन नहीं किए जाने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सामान्य रोकड़बही का अद्यतन संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (2): <u>वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया जाना</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 86 एवं 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के अन्दर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा की मदें, पूर्ववर्ती वर्ष के आय–व्यय का लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 120 एवं 122 के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का संधारण बी.एम.आर प्रपत्र–71 में, आय–व्यय का विवरण बी.एम.आर. प्रपत्र–73 में एवं आर्थिक चिटठा का संधारण बी.एम.आर. प्रपत्र–74 में किया जाना

है। परंतु, नगर पंचायत, दिघवारा द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में वार्षिक लेखा का संधारण किया जाएगा। वार्षिक लेखाओं का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (3): <u>परिसंपत्ति पंजी का संधारण नहीं किया जाना</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 के अनुसार, सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी। आगे, किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

जवाब में बताया गया कि परिसंपत्त पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। परिसंपत्ति पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

<u>टिप्पणी (4): बजट प्राक्कलन</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 84 यह प्राविहित करती है कि नगरपालिका प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अंगीकार करेगी तथा अंगीकृत बजट प्राक्कलनों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा उपबंधों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के 31 मार्च के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट एवं वास्तविक के आंकड़ों में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे, इसी अधिनियम की धारा 75 प्राविहित करती है कि नगरपालिका निधि से कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यय बजट प्रावधान से आच्छादित न हो।

नगर पंचायत–दिघवारा (सारण) द्वारा वर्ष 2017–18 के बजट से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया इससे यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत उक्त बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था अथवा नहीं।

जवाब में बताया गया कि वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था तथा इसे बोर्ड से पारित भी कराया गया था। परंतु, बजट की प्रति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जवाब के समर्थन में वर्ष 2017–18 के बजट की प्रति लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

टिप्पणी (5): <u>सेवा पुस्तिका के संधारण में अनियमितता</u>

नगर पंचायत, दिघवारा में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में निम्नांकित अनियमितता पाई गयीः–

(i) सेवा पुस्तिका मे संबंधित कर्मचारी का फोटो नहीं पाया गया।

(ii) अवकाश खाता अद्यतन नहीं पाया गया।

(iii) सेवा पुस्तिका का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(iv) सेवा पुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रविष्टि नहीं था।

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं को दूर कर लिया जाएगा। उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (6): <u>अभिलेखों की अप्रस्तुति</u>

नगर पंचायत– दिघवारा (सारण) के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में निम्नलिखित अभिलेख व पंजी लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किर गया, फलतः इनकी जाँच नहीं की जा सकी–

(i) महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन

(ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र

(iii) स्टॉक रजिस्टर एवं विविध रसीद

(iv) अग्रिम पंजी

(v) दैनिक वसूली पंजी

(vi) वाहनों का लॉगबुक

(vii) नक्शा पंजी एवं संबंधित अभिलेख

(viii) योजना विवरणी

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त अभिलेखों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

–ह.स्ता0–
(अरूण कुमार)
ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)